पंचायती राज

- महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी। पंचायती राज ग्राम स्वराज्य का आधार है। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख अपनी पुस्तक **'माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया'** में किया है। पंचायती राज व्यवस्था के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के भाग IV में नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में भी इसका प्रावधान किया गया।
- ग्रामीण विकास में जनसहभागिता प्राप्त करने एवं अधिकार व शक्तियों के प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण हेतु सलाह देने के उद्देश्य से जनवरी, 1957 में श्री **बलवंतराय मेहता समिति** की स्थापना की गई।
- इस समिति ने 24 नवम्बर, 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर बल देते हुए देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की गई।
- इन सिफारिशों की क्रियान्विति में **2 अक्टूबर, 1959** को सर्वप्रथम राजस्थान में **नागौर** जिलें में तत्कालीन प्रधानमंत्री **जवाहरलाल नेहरू** द्वारा वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया।
- उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री स्व. श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रबल समर्थक थे।
- राजस्थान के बाद 11 अक्टूबर, 1959 को आन्ध्रप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
- त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियाँ व जिला स्तर पर जिला परिषदें गठित की गई।
- पंचायतों की व्यवस्था के लिए तो पहले से ही **'राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953'** लागू कर दिया गया था तथा इसके तहत् राज्य में पहली बार ग्राम पंचायतों हेतु चुनाव फरवरी, 1954 में सम्पन्न हुए परन्तु 1959 में पंचायत समितियाँ और जिला परिषदों की स्थापना के लिए **'राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1959'** बनाया गया।
- इस अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु प्रथम चुनाव 1959 में सम्पन्न हुए।

पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करने तथा इस प्रणाली को और अधिक कारगर बनाने हेतु सुझाव देने के लिए सयम-समय पर निम्न समितियों का गठन किया गया-

- **सादिक अली अध्ययन दल : पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु** सुझाव देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 1964 में यह अध्ययन दल गठित किया गया। इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला परिषद् के प्रमुख का चुनाव इन संस्थाओं के सदस्यों द्वारा किये जाने के स्थान पर वृहत्तर निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य सम्मिलित है।
- **गिरधारीलाल व्यास समिति :** 1973 में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति जिसने प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त करने तथा पंचायतीराज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन दिये जाने पर बल दिया।
- **अशोक मेहता समिति :** पंचायती राज व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने तथा इस प्रणाली को और अधिक कारगर बनाने हेतु सुझाव देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1977-78 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने जिला स्तर और मंडल स्तर पर द्वि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की थी। इन्होंने मण्डल स्तर पर 'मंडल पंचायत' को लोकतांत्रिक विकेन्द्रकरण का केन्द्र बिन्दू बनाने का सुझाव दिया।
- **एल.एम.सिंघवी समिति :** 1986 में केन्द्र सरकार द्वारा गठित इस समिति द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को स्थानीय शासन की आधारभूत इकाई के रूप में मान्यता देने, ग्राम सभा को महत्व देने आदि की सिफारिश की गई। समिति की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के अन्तर्गत सरकार का तृतीय स्तर घोषित किया जाना चाहिए और इस हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में नया अध्याय जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को सरकार का तीसरा स्तर प्रदान कर इन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है।
- 16 सितम्बर, 1991 को **पी.वी. नरसिम्हा राव** सरकार द्वारा पंचायती राज के संबंध में 72वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
- लोकसभा ने इस विधेयक की समीक्षा हेतु **श्री नाथूराम मिर्धा (राजस्थान)** की अध्यक्षता में संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया।
- इस समिति की सिफारिशों के आधार पर **22 दिसम्बर, 1992** को लोकसभा द्वारा तथा अगले दिन राज्य सभा में **73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** पारित किया गया।
- इस अधिनियम द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि देश की सभी राज्य सरकारें इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपने पुराने प्रचलित पंचायती राज अधिनियमों को निरस्त कर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिपेक्ष्य में नए पंचायती राज अधिनियम तैयार कर लागू करें। इन्हीं निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने अपने पुराने दोनों अधिनियमों को निरस्त कर एक नया पंचायती राज अधिनियम तैयार कर 23 अप्रैल, 1994 से लागू कर दिया है जिसे हम **'राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994'** के नाम से पुकारते हैं। इस अधिनियम के संदर्भ में **'राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996'** बनाए गए हैं जो 30 दिसम्बर, 1996 से लागू कर दिए गए है।
- **वित्तीय वर्ष 2015-16** में राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं का 20 वर्ष बाद पुनर्गठन कर 47 नयी पंचायत समितियों एवं 723 नयी ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इस प्रकार राज्य में **295 पंचायत समितियाँ** एवं **9894 ग्राम पंचायतें** स्थापित हो गई हैं।
- राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शिक्षा संबंधी योग्यता निर्धारित की गई है। जहां वर्ष 2010 में 10वीं पास से अधिक योग्यता वाला जिला परिषद् सदस्यों की संख्या 33 प्रतिशत, पंचायत समिति सदस्यों की संख्या 18 प्रतिशत तथा 8वीं पास सरपंचों की संख्या 22 प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2015 में इनकी संख्या क्रमशः 70 प्रतिशत, 54 प्रतिशत व 48 प्रतिशत हो गई है।

राजस्थान स्थानीय निकायों में शिक्षा संबंधी प्रावधान अधिनियम-2015

- राजस्थान में पंचायत राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और शौचालय अनिवार्यता संबंधी विधेयक (Rajasthan Panchayati Raj Amendment Bill, 2015) 27 मार्च, 2015 को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गए।
- इसके साथ ही राजस्थान देश में इन 'राजनीतिक नवाचारों' को लागू करने वाला **पहला राज्य** बन गया है। राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने दोनों विधेयक सदन में प्रस्तुत किए। इस संशोधन विधेयक के जरिये राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में संशोधन किये गये हैं।
- राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में सभी पदों के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के स्वयं के घर में स्वच्छ शौचालय निर्मित होने एवं उसके नियमित उपयोग होने की अनिवार्यता को राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 के द्वारा लागू किया गया।
- राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र की पंचायत के सरपंच हेतु किसी विद्यालय से 5वीं उत्तीर्ण तथा किसी अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी पंचायत के सरपंच हेतु 8वीं, उत्तीर्ण, जिला परिषद या पंचायत समिति सदस्य के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की अनिवार्यता को राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 के द्वारा लागू किया गया।

ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों का पुनर्गठन (कटारिया समिति)

- राज्य में **पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन** के लिए गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मंत्रीमण्डलीय उपसमिति **(कटारिया समिति)** गठित की गई।
- कटारिया के अलावा समिति में कृषि मंत्री **प्रभूलाल** सैनी एवं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री **यूनूस खान** सदस्य थे।
- उपसमिति ने ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के गठन के मानदण्डों पर विचार कर निम्न फार्मूला दिया, कोई भी राजस्व ग्राम दो पंचायतों में नहीं बटेगा।
- पंचायत मुख्यालय से गांव की अधिकतम दूरी 8 किसी होगी। अनुसूचित क्षेत्र, सहरिया व मरूस्थलीय इलाकों में एक पंचायत की आबादी 3,500 से 6,000 तक होगी।
- राज्य के अन्य जिलों में एक पंचायत की आबादी 5,000 से 7,500 तक होगी।
- अनुसूचित क्षेत्र व मरूस्थलीय इलाकों में नई पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों की न्यूनतम संख्या 25 और अन्य में 30 होगी।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 04 मार्च, 2014 के निर्णय अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन-पुनर्सीमांकन का कार्य नवम्बर, 2014 को पूर्ण किया गया था। इसके पश्चात् राज्य में 47 पंचायत समितियां नवसृजित, 64 पंचायत समितियाँ पुनर्गठित तथा 723 ग्राम पंचायतें नवसृजित, 1423 ग्राम पंचायते पुनर्गठित किये जाने की अधिसूचना दिनांक 05.11.2014 को जारी कर दी गई है। इस प्रकार अब राज्य में 9,894 ग्राम पंचायतें, 295 पंचायत समितियां एवं 33 जिला परिषदें अस्तित्व में है।

राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना (SPAS)

- माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष 2015-16 में राज्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले पंचायती राज संस्थाओं को राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड दिये जाने की घोषणा की गई।
- पुरस्कार के चयन का आधार स्वयं के संसाधनों में वृद्धि, स्वच्छ भारत अभियान में किये गये उल्लेखनीय कार्य तथा बाल विवाह की रोकथाम हेतु उठाये गये कदमों पर आधारित होगा।
- राज्य से तीन जिला परिषद् प्रत्येक संभाग से तीन पंचायत समिति एवं प्रत्येक जिलें से तीन ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जायेगा। जिसमें प्रथम तीन जिला परिषदों को क्रमशः 25 लाख, 15 लाख एवं 10 लाख रुपये, प्रत्येक संभाग से प्रथम 3 पंचायत समितियों को क्रमशः 10 लाख, 5 लाख एवं 3 लाख रुपये एवं प्रत्येक जिलें से प्रथम 3 ग्राम पंचायतों को क्रमशः 3 लाख, 2 लाख एवं 1 लाख रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जावेगी।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से विस्तृत दिशा-निर्देश जिलों को जारी किये जा चुके हैं। जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य स्तर से जुलाई, 2016 के अन्त तक अनुमोदन उपरांत सर्वश्रेष्ठ पंचायती राज संस्थाओं को 15 अगस्त, 2016 को पुरस्कृत किया जायेगा।

वर्तमान में (2015) राज्य में प्रशासनिक संस्थाओं की संख्यात्मक स्थिति

कुल जिला परिषदें	33
कुल पंचायत समितियां	295
कुल ग्राम पंचायतें	9,894
औसत ग्राम पंचायतें प्रति पंचायत समिति	34
औसत पंचायत समिति प्रति जिला परिषद् निर्वाचित पंचायती राज जनप्रतिनिधि	9
जिला प्रमुख	33
प्रधान	295
जिला परिषद् सदस्य	1014
पंचायत समिति सदस्य	6236
सरपंच	9894
वार्ड पंच	1077077

स्त्रोत- ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16, पृष्ठ-131

नोट : 'राइट टू रिकॉल' नगरपालिका (संशोधन) कानून (2009)-22 मार्च, 2011

शहरी निकाय

- नगरों के विकास का आधार स्थानीय स्वशासन होता है।
- भारत में **सर्वप्रथम नगरीय शासन की स्थापना मद्रास** में हुई।
- **माउण्ट आबू में 1864 ई. में राज्य की पहली नगरपालिका स्थापित की गई।** इसके बाद अजमेर में (1866 ई. में), ब्यावर (1867 ई.) तथा जयपुर में 1869 में नगरपालिकाएँ स्थापित की गई।
- स्वतंत्रता के समय राज्य में 7 जिला बोर्ड, उदयपुर में नगर निगम तथा 136 शहरों, कस्बों में नगरपालिकाएँ कार्यरत थी।
- राज्य में नगरपालिका प्रशासन में एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 को राजस्थान में लागू कर दिया गया। 1950 में नगरपालिकाओं में समन्वय, निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य में स्थानीय निकाय विभाग की स्थापना की गई।
- स्वतंत्रता के पश्चात् 1951 में पहली बार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-1951 लागू कर सम्पूर्ण राज्य के स्थानीय शहरी प्रशासन में एकरूपता स्थापित की गई। इसे 1959 में समाप्त कर नया 'राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-1959' क्रियान्वित किया गया।
- **1 जून, 1993** को 74वाँ संविधान संशोधन लागू हुआ जिसके द्वारा स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत संविधान में भाग 9क जोड़ा गया जिसमें **अनुच्छेद 243 त से 243 छ** तक शामिल किए गए है।
- संविधान की 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें 18 विषय शामिल किए गए। 9 अगस्त, 1994 की जारी अधिसूचना के तहत् राज्य में निम्न प्रकार की 188 शहरी स्वशासन संस्थाएँ कार्यरत है-
  - **(1) नगर निगम (Municipal Corporation) :** जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो, वहाँ की स्थानीय स्वशासन संस्था 'नगर निगम' कहलाती है। इसका अध्यक्ष 'महापौर' कहलाता है।
  - **(2) नगर परिषद् (Municipal Council) :** एक लाख से अधिक तथा 5 लाख तक आबादी वाले शहरों में स्थानीय स्वशासन संस्था नगर परिषद् होती है। इसका अध्यक्ष सभापति होता है।
  - **(3) नगरपालिका :** एक लाख तक की आबादी वाले शहरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन की इकाई नगरपालिका होती है।
- नगर परिषद् एवं नगरपालिका का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। शहरी निकायों के निगम आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
- राज्य में वर्तमान में **7 नगर निगम**-जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर एवं भरतपुर, 34 नगर परिषदें एवं 147 नगरपालिकाएँ हैं।
- अजमेर में नगर निगम का गठन 30 जुलाई, 2008 को, बीकानेर में नगर निगम का गठन अगस्त, 2008 में उदयपुर में नगर निगम का गठन 28 मार्च, 2013 को किया गया। भरतपुर में नगर परिषद् के स्थान पर नगर निगम के गठन की अधिसूचना 13 जून, 2014 को जारी की गई।
- 7 संभाग मुख्यालयों पर नगर निगम गठित हो गये है।
- राज्य में 1 मई, 2012 से सभी जिला मुख्यालयों पर नगर पालिकाओं का नगर परिषद् के रूप में गठन कर दिया गया है। अब राज्य में 34 नगर परिषदें हो गई हैं तथा 147 नगर पालिकाएँ रह गई है।
- निम्न 8 शहर जिला मुख्यालय नहीं है फिर भी वहाँ नगरपरिषद् का गठन किया गया हैं- किशनगढ़, ब्यावर, मकराना, गंगापुर सिटी, हिण्डौन सिटी, भिवाड़ी, बालोतरा, सुजानगढ़।
- 74वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया है तथा अब इनके चुनाव हर 5 वर्ष मं उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाये जाने अनिवार्य हैं। इनके सभी पदों-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तथा सभी पदों पर सभी वर्गों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिये गये है जो क्रमिक रूप से लॉटरी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। सितम्बर, 2008 में राज्यपाल के अध्यादेश द्वारा नगर निकायों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया, परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2009 के अन्तर्गत नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में युवाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए भी नई धारा 21A जोड़ी गई थी। परन्तु 16 जुलाई, 2010 को उच्चतम न्यायालय ने महिला आरक्षण की वृद्धि रोक का आदेश पारित किया है। युवाओं के आरक्षण पर भी उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है।

राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक -2015

- 18 सितम्बर, 2015 को राजस्थान विधान सभा में नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यकता होगी।
- अब पालिका चुनाव लड़ने वाले के घर में कार्यशील शौचालय आवश्यक कर दिया गया है और साथ ही यह तय करना होगा कि परिवार का सदस्य भी खुले में नहीं जाता।

नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन :

- **स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास व घर में शौचालय अनिवार्य**
- स्थानीय निकाय चुनाव में पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास तथा घर में शौचालय की अनिवार्यता के अध्यादेश को राज्यपाल कल्याण सिंह ने 21 जुलाई, 2015 को मंजूरी प्रदान कर दी थी।
- इसके पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 में संशोधन के लिए राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का अनुमोदन किया गया।

संशोधन के तहत् स्थानीय निकायों के सदस्य निर्वाचित होने के संबंध में शैक्षणिक अर्हता का प्रावधान किया गया है। इसके तहत नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीद्वार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगी। उन्हें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या इसके समकक्ष अन्य बोर्ड का 10वीं उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नगर पालिका अधिनियम में संशोधन-राइट टू रिकॉल का प्रावधान :

- राज्य विधानसभा ने 22 मार्च, 2011 को नगर पालिका अधिनियम में संशोधन अधिनियम पारित किया। इसमें प्रावधान है कि किसी भी शहरी निकाय (नगर निगम, नगर परिषद् या नगरपालिका) प्रमुख के हटाने के लिए निकाय पार्षदों के 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा तथा जनमत संग्रह में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान होने पर ही प्रमुख को पद से हटाया जा सकेगा। यह अविश्वास प्रस्ताव निकाय प्रमुख के पदग्रहण की तिथि के दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही लाया जा सकेगा।
- निकाय के उपाध्यक्ष को हटाने हेतु जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है।

नगर विकास न्यास (UIT)

- राज्य में नगरों के सुनियोजित विकास के लिए नगर विकास न्यास भी स्थापित किए गए है।
- अध्यक्ष-नगर विकास न्यास का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है।
- **राज्य में नगर विकास न्यास-15 :** अलवर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, आबू, जैसलमेर, पाली, सीकर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ एवं सवाईमाधोपुर।

कार्य :

- नई बस्तियों का योजनापूर्ण निर्माण करना और उनका रखरखाव करना।
- नव विकसित बस्तियों में सड़कों का निर्माण,रोशनी तथा पेयजल की व्यवस्था करना।
- वृक्षरोपण कराना, बाग-बगीचों, उपवनों, पार्कों आदि का निर्माण व उनकी देखभाल करना।

आय के साधन :

- भू-खंडों के विक्रय से प्राप्त आय।
- सरकार द्वारा दिया गया ऋण।
- विकास कर से प्राप्त आय।
- भूखण्डों से हर वर्ष प्राप्त लीज राशि।

छावनी मंडल (Cantonment Board)

- शहरों के आस-पास सैनिक छावनी में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल स्थापित किए गए है। छावनी मंडल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रणाधीन व पर्यवेक्षणाधीन होते है। इन पर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है।
- राजस्थान में केवल **नसीराबाद (अजमेर)** में सैनिक छावनी में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल स्थापित है।
- छावनी बोर्ड का अध्यक्ष सेना का कमांडिंग ऑफिसर होती है।

(74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन) नगर निकाय-कुल 188

क्र.		नगर पालिका (147)	नगर परिषद् (34)	नगर निगम (निगम 07)
1.	जनसंख्या	20 हजार से अधिक किन्तु एक लाख तक	एक लाख से अधिक व पाँच लाख तक	पाँच लाख से अधिक
2.	अध्यक्ष	अध्यक्ष/सभापति	सभापति	महापौर
3.	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष/उपसभापति	उपसभापति	उपमहापौर
4.	वार्ड सदस्य	पार्षद	पार्षद	पार्षद

राज्य के राज्यपाल

1.	सरदार गुरूमुख निहालसिंह	01.11.1956-15.04.1962	2.	डॉ. सम्पूर्णानन्द	16.04.1962-15.04.1967
3.	सरदार हुकुम सिंह	16.04.1967-30.06.1972	4.	सरदार जोगेन्द्र सिंह	01.07.1972-14.02.1977
5.	श्री रघुकुल तिलक	12.05.1977-08.08.1981	6.	श्री ओमप्रकाश मेहरा	06.03.1982-03.11.1985
7.	श्री बी.आर. पाटिल	20.11.1985-12.11.1987	8.	श्री सुखदेव प्रसाद	20.02.1988-02.02.1990
9.	प्रो. देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय	14.02.1990-25.08.1991	10.	डॉ. एम. चेन्नारेड्डी	05.02.1992-30.05.1993
11.	श्री बलिराम भगत	30.06.1993-01.05.1998	12.	श्री दरबारा सिंह	01.05.1998-22.05.1998
13.	श्री अंशुमान सिंह	16.01.1999-13.05.2003	14.	श्री निर्मलचन्द जैन	14.05.2003-22.05.2003
15.	श्री मदनलाल खुराना	14.01.2004-07.11.2004	16.	श्रीमती प्रतिभा पाटिल	08.11.2004-21.06.2007
17.	श्री शैलेन्द्र सिंह	06.09.2007 से 1.12.2009	18.	श्रीमती प्रभाराव	03.12.2009-24.04.2010
19.	श्री शिवराज पाटिल	28.04.10 से 12.05.2012	20.	श्रीमती मारग्रेट अल्वा	12.05.2013-08.08.2014
21.	श्री रामनाइक	08.8.2014 से 04.9.2014	22.	श्री कल्याणसिंह	04.09.2014 से लगातार

- श्री शिवराज पाटिल (पंजाब के राज्यपाल) को तथा श्रीराम नाइक (राजस्थान उत्तरप्रदेश) को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
- श्रीमती प्रतिभा पाटिल राज्य की **प्रथम महिला राज्यपाल** बनी थी।
- राज्यपाल श्री दरबारा सिंह, श्री निर्मलचन्द जैन, श्री शैलेन्द्र सिंह एवं श्रीमती प्रभाराव का राज्यपाल के पद पर रहते हुए (कार्यकाल के दौरान) निधन हो गया था।

- राज्य के सर्वाधिक समय तक रहे राज्य पाल सरदार गुरूमुख निहालसिंह थे।
- राजस्थान में राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए एक राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। इस सचिवालय का **प्रमुख राज्यपाल का सचिव** होता है जो **भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी** होता है।

राजस्थान विधानसभा

- राजस्थान में वर्तमान में एक सदनीय विधानमंडल (विधानसभा) है।
- जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय द्वारा सितम्बर, 1945 में द्विसदनीय विधान मंडल का गठन किया गया जिसका जिसका एक सदन **धारा सभा** व दूसरा सदन **प्रतिनिधि सभा** था।
- राज्य की 160 सदस्यीय प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव 4 से 24 जनवरी, 1952 तक हुए व इसका गठन 29 फरवरी, 1952 को हुआ। इसकी प्रथम बैठक 29 मार्च, 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई। इसी टाउन हॉल को बाद में विधानसभा का रूप दे दिया गया।
- श्री नरोत्तम लाल जोशी (झुंझुनूँ से निर्वाचित)को पहली विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष एंव श्री लालसिंह शक्तावत को उपाध्यक्ष चुना गया।
- राजस्थान गठन के समय **अजमेर-मेरवाड़ा** का राज्य में विलय न होने के कारण वहाँ 30 सदस्यीय पृथक विधानसभा थी जिसे **धारा सभा** कहते थे। 1 नवम्बर, 1956 को अजमेर-मेरवाड़ा का राज्य में विलय हो जाने पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 190 हो गई।
- विधानसभा का नया भवन वर्ष 2001 में ज्योतिनगर, जयपुर में बनकर तैयार हुआ जिसका लोकार्पण 6 नवम्बर, 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन ने किया। इस भवन में जोधपुर, बंसी पहाड़पुर तथा करौली के इमारती पत्थर का उपयोग किया गया है। भवन के चारों ओर चार प्रवेश द्वार है। उत्तरी प्रवेश द्वार में जयपुर शैली, दक्षिणी प्रवेश द्वारा में मारवाड़ी शैली, पूर्वी में शेखावाटी तथा पश्चिमी द्वार के बरामदे में मेवाड़ शैली का स्थापत्य दृष्टिगोचर होता है।

राज्य की विधानसभाएँ

क्र.	विधानसभा व अवधि	विशेष विवरण
1.	प्रथम विधानसभा (29 फरवरी, 1952 से 1957) अध्यक्ष : श्री नरोत्तमलाल जोशी (कांग्रेस विधायक, झुंझुनूँ)	- प्रथम विधानसभा की कालावधि (1952-57) में सर्वाधिक 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए । - जो अब तक का कीर्तिमान है। - इसी विधानसभा के नवम्बर, 1953 में हुए बाँसवाड़ा उपचुनाव में श्रीमती यशोदा देवी (प्रजा समाजवादी पार्टी) जीतकर राज्य की पहली महिला विधायक बनी।
2.	द्वितीय विधानसभा (2.04.57-1.3.62)	- अध्यक्ष : श्री रामनिवास शर्मा
3.	तृतीय विधानसभा (3.3.62-28.2.67)	- अध्यक्ष : श्री रामनिवास मिर्धा
4.	चतुर्थ विधानसभा (1.3.67-15.3.1972)	- पहली बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन 13 मार्च, 1967 से 26 अप्रैल, 1967 तक लागू रहा व विधानसभा निलम्बित रही।
5.	पाँचवीं विधानसभा (15.03.1972-16.02.1980) अध्यक्ष : श्री रामकिशोर व्यास	- इस विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा अवधि (आपातकाल के कारण) का था। अधिक कार्यकाल वाली यह एकमात्र विधानसभा थी। - 26 जून, 1975 को देश में आपातकाल लागू। 30 अप्रैल, 1977 से 21 जून, 1977 तक राज्य मे द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन लागू।
6.	षष्ठम् विधानसभा अध्यक्ष- 1. महारावल लक्ष्मणसिंह (1977-24.4.77) 2. श्री गोपाल सिंह आहोर (25.9.79 से जून 1980 तक)	- पहली बार गैर कांग्रेसी दल जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत व राज्य में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। - 17 फरवरी, 1980 से 5 जून, 1980 तक तृतीया बार राष्ट्रपति शासन लागू। - उस समय केन्द्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। - राज्य में पहली बार विधानसभा 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दी गई व पहले मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला।
7.	सातवीं विधानसभा (6.6.80-9.3.85)	- अध्यक्ष - श्री पूनमचंद विश्नोई
8.	आठवीं विधानसभा (9.3.85-1.3.90)	- अध्यक्ष - 1. श्री हीरालाल देवपुरा 2. श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी
9.	नवम् विधानसभा (02.03.1990-15.12.1992) अध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा	- सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा ने जनता दल के सहयोग से श्री भैंरोसिंह शेखावत के नेतृत्व में दूसरी बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई। - 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या (उ.प्र.) में बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद 15 दिसम्बर, 1992 को श्री शेखावत सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन (चौथी बार-15.12.1992 से 3 दिसम्बर, 1993 तक) लागू किया गया व उसी दिन यह विधानसभा भी समय से पूर्व भंग कर दी गई व दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए।
10	दसवीं विधानसभा (04.12.1993-30.11.1998) अध्यक्ष -1. श्री हरिशंकर भाभड़ा 2. श्री शांतिलाल चपलोत	- भाजपा पुनः सबसे बड़े दल के रूप में उभरी एवं भैंरोसिंह शेखावत ने कुछ निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई।

11	ग्यारहवीं विधानसभा (01.12.1998-04.12.2008)	- कांग्रेस स्पष्ट बहुमत (पहली बार 153 सीटें) के साथ जीत कर आई। - अध्यक्ष- श्री परसराम मदेरणा
12.	बारहवीं विधानसभा (06.12.2003 से 10.12.2008) अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह	- श्रीमती सुमित्रा सिंह राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी। - श्रीमती प्रतिभा पाटिल राज्य की पहली महिला राज्यपाल व श्रीमती वसुन्धरा राजे राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी।
13.	तेरहवीं विधानसभा (11.12.08 से) अध्यक्ष -दीपेन्द्र सिंह शेखावत प्रोटेम स्पीकर : देवीसिंह भाटी	- किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं। 96 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ा दल। अशोक गहलोत निर्दलियों के समर्थन में मुख्यमंत्री बने। बाद में बसपा के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत (102 सीटें) प्राप्त हो गया।
14.	14वीं विधानसभा (11.12.13 से .....) अध्यक्ष -श्री कैलाश मेघवाल प्रोटेम स्पीकर : श्री प्रद्युन्न सिंह	- भाजपा को रिकॉर्ड 163 सीटें मिली। कांग्रेस को अब तक की न्यूनतम मात्र 21 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी।

- 1977 में हुए परिसीमन में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई। अत: छठी विधानसभा हेतु चुनाव 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए। यही सदस्य संख्या (200) वर्तमान में भी कायम है।
- सर्वाधिक विधानसभा सीटें (सदस्य) जयपुर जिले से 19 एवं अलवर से 11 हैं, जबकि सबसे कम विधानसभा सदस्य प्रतापगढ़ से 2 एवं जैसलमेर से 2 चुने जाते है। झोटवाड़ा (जयपुर) विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता हैं, जबकि बसेड़ी (धौलपुर) विधानसभा क्षेत्र में राज्य में सबसे कम मतदाता पंजीकृत है। जिले के हिसाब से जयपुर जिले में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक तथा जैसलमेर जिले में न्यूनतम है।
- काँग्रेस के **श्री हरिदेव जोशी** सम्पूर्ण देश में एकमात्र विधायक थे जो प्रथम दस विधानसभा चुनावों में लगातार जीते।
- 12वीं विधानसभा में वर्ष 2003 में पहली बार सम्पूर्ण राज्य में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया गया।
- श्री रामनिवास मिर्धा सर्वाधिक अवधि तक विधानसभा अध्यक्ष है।
- राज्य में अब तक निम्न चार बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका हैं-
  प्रथम बार - 13 मार्च, 1967 से 26 अप्रैल, 1967 तक
  द्वितीय बार - 30 अप्रैल, 1977 से 21 जून, 1977 तक
  तृतीय बार - 17 फरवरी, 1980 से 5 जून, 1980 तक
  चतुर्थ बार - 15 दिसम्बर, 1992 से 3 दिसम्बर, 1993 तक
- राज्य की पहली विधानसभा के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास ने दो विधानसभा क्षेत्रों (जोधपुर 'बी' एवं जालोर 'ए') से चुनाव लड़ा था लेकिन वे दोनों सीटों से ही पराजित हुए।

राजस्थान के मुख्यमंत्री

क्र.	मुख्यमंत्री	विशेष विवरण
1.	श्री हीरालाल शास्त्री (07.04.1949-05.01.1951)	- राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। जन्म-जोबनेर (जयपुर) में - श्री शास्त्री ने 5 जनवरी, 1951 को त्याग पत्र दिया। श्री शास्त्री के नेतृत्व में प्रथम लोकप्रिय (उत्तरदायी) सरकार बनी। 26 जनवरी, 1950 तक इनका पदनाम प्रधानमंत्री था।
2.	श्री सी.एस. वेंकटाचारी (5.01.51-26.04.1951)	- आई.सी.एस. अधिकारी, जिन्हें केन्द्र सरकार ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया।
3.	श्री जयनारायण व्यास (26.04.1951-03.03.1952)	- जन्म जोधपुर में हुआ। इन्हें वर्ष 1948 में जोधपुर रियासत की लोकप्रिय सरकार का मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। इनके कार्यकाल में जनवरी, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए।
4.	श्री टीकाराम पालीवाल (03.03.52-01.11.1952)	- प्रथम विधानसभा चुनावों के बाद प्रथम लोकतांत्रिक सरकार बनी व पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने।
5.	श्री जयनारायण व्यास (01.11.1952-13.11.1954)	- श्री जयनारायण व्यास ने किशनगढ़ क्षेत्र से विधानसभा उप चुनाव जीता। - श्री टीकाराम पालीवाल उपमुख्यमंत्री बनाए गए।
6.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया जन्म : झालरापाटन (झालावाड़) कार्यस्थली-उदयपुर I -13.11.1954-13.3.1967 IV-26.04.1967-08.07.1971	- सुखाड़िया मंत्रिमंडल में श्रीमती कमला बेनीवाल को उपमंत्री के रूप में शामिल किया गया। वे 1954 में राज्य की पहली महिला मंत्री बनी। - 13.03.1967 से 26.04.1967 चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। - श्री सुखाड़िया सर्वाधिक लम्बी अवधि व सर्वाधिक चार बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे जो अभी तक एक कीर्तिमान है।
7.	श्री बरकतुल्ला खाँ जन्म : जोधपुर में (09.07.1971-11.10.1973)	- राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। - श्री बरकतुल्ला खाँ का कार्यकाल के दौरान ही 11 अक्टूबर, 1973 को निधन। भारत-पाक युद्ध (1971) के समय ये मुख्यमंत्री थे।

8.	श्री हरिदेव जोशी (11.10.73-29.04.1977) जन्म : खांदू गांव (बाँसवाड़ा) में	- श्री जोशी बाँसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित। - इनके कार्यकाल में 25 जूल, 1975 को आपातकाल लागू हुआ।
9.	श्री भैरोसिंह शेखावत (22.06.77-16.02.1980) जन्म-खाचरियावास (सीकर) में	- राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। पहली बार राज्य में गैर कांग्रेसी दल (जनता पार्टी) को स्पष्ट बहुमत मिला। शेखावत सरकार को समय से पूर्व भंग कर राष्ट्रपति शासन (17.02.1980-05.06.1980) को लागू किया गया व प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए।
10	श्री जगन्नाथ पहाड़िया (06.06.80-14.07.81)	- राज्य के अनुसूचित जाति से बने प्रथम मुख्यमंत्री।
11	श्री शिवचरण माथुर (14.07.1981-23.02.1985)	- विधानसभा चुनाव के दौरान डीग के निर्दलीय उम्मीदवार श्री मानसिंह की हत्या के बाद 23.02.85 को माथुर सरकार का इस्तीफा।
12.	श्री हीरालाल देवपुरा (23.02.1985-10.03.1985)	- श्री देवपुरा सबसे कम अवधि (मात्र 16 दिन) के लिए राज्य के मुख्यमंत्री रहे।
13.	श्री हरिदेव जोशी (10.03.1985-20.01.1988)	- श्री जोशी दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने।
14.	श्री शिवचरण माथुर (20.01.1988-04.12.1989)	- श्री माथुर दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने।
15.	श्री हरिदेव जोशी (04.12.1989-04.03.1990)	- श्री जोशी तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने।
16.	श्री भैरोंसिंह शेखावत I -04.03.1990-14.12.1992 II -04.12.1993-30.11.1998	- श्री शेखावत दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने व राज्य में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। प्रथम बार भाजपा ने सभी दौ सौ क्षेत्रों में चुनाव। लड़ा बाबरी मस्जिद गिराने के बाद हुए घटना क्रम के कारण चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू। - श्री शेखावत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये श्री सुखाड़िया के बाद सर्वाधिक अवधि के लिए मुख्यमत्री रहे।
17.	श्री अशोक गहलोत (01.12.1989-08.12.2003 जन्म -जोधपुर में	- इनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 11वीं विधानसभा चुनाव में अब तक सर्वाधिक सीटें (153) जीतीं।
18.	श्रीमती वसुंधरा राजे (08.12.2003 से 12.12.2008 तक) जन्म : मुम्बई में 8 मार्च, 1953 को	- राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। वे झालरापाटन (झालावाड़) से चुनी गई। राज्य में पहली बार भाजपा की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी।
19.	श्री अशोक गहलोत (13.12.2008-12.12.2013)	- दुबारा राज्य के मुख्यमंत्री बने। निर्दलियों के सहयोग से सरकार का गठन ।
20.	श्रीमती वसुंधरा राजे (13.12.2013 से)	- 1 दिसम्बर, 2013 को 14वीं विधानसभा के चुनावों में प्रचण्ड बहुमत (163सीट) प्राप्त कर श्रीमती राजे दुबारा राज्य की मुख्यमंत्री बनी।

संसद में राजस्थान

- राजस्थान से कुल 25 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। राज्य में केवल **जयपुर जिले से दो लोकसभा सदस्य** (जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण से एक-एक) चुने जाते हैं। शेष अधिकांश जिलों से एक-एक लोकसभा सदस्य निर्वाचित होता है। कुछ अपेक्षाकृत छोटे जिलों में दो-दो जिलों से एक लोकसभा सदस्य निर्वाचित किया जाता है।

जैसे :-

(1) करौली-धौलपुर,
(2) टोंक-सवाईमाधोपुर,
(3) बाँसवाड़ा-डूंगरपुर
(4) झालावाड़-बाराँ,
(5) बाड़मेर-जैसलमेर
(6) जालौर एवं सिरोही
(7) गंगानगर व हनुमानगढ़
(8) चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़
(9) कोटा एवं बूंदी।

- प्रथम आम चुनाव (1952) के समय राजस्थान से कुल 22 लोकसभा सीटें थी तथा राज्यसभा में 10 सीटें थी। वर्तमान में 25 लोकसभा सीट व 10 राज्यसभा सीटें है।
- राजस्थान की **प्रथम महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव (प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य)** 1952 में बनी थी। राज्य से चुनी गई प्रथम महिला लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी (स्वतंत्र पार्टी) थी, जो जयपुर लोकसभा क्षेत्र में 1962 में **तीसरी लोकसभा** के चुनावों में चुनी गई थी।

- **श्री नाथुराम मिर्धा** (कांग्रेस) राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य बने।
- **श्रीमती वसुंधरा राजे** राजस्थान के **सर्वाधिक बार** (5 बार-9वीं से 13वीं लोकसभा तक लगातार'1989, 1991, 1996, 1998 व 1999) चुनी गई महिला लोकसभा सदस्य है। वे झालावाड़ लोकसभा सीट से विजयी रही हैं।
- राजस्थान से **अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य** सवाई माधोपुर से **श्रीमती उषा देवी मीणा** (1996 में चुनी गई) थी।
- राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य सुशीला बंगारू जालौर से 2004 में चुनी गई थी।
- 1985 में 8वें लोकसभा चुनाव में राज्य की **सभी 25 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीत कर रिकार्ड** बनाया। इस लोकसभा के अध्यक्ष **श्री बलराम जाखड़** थे, जो सीकर लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे।
- 1989 के नवें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पहली बार राज्य में एक भी लोकसभा सीट पर विजय नहीं मिली। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में भी राज्य की सभी 25 सीटों पर भाजपा को विजय हासिल हुई है।
- राजस्थान से केन्द्रीय मंत्रिमंडल में **प्रथम केबिनेट मंत्री श्री कालूलाल श्रीमाली** (1958-1963) थे।
- राजस्थान से **केन्द्रीय परिषद्** में शामिल होने वाली **प्रथम महिला सुश्री डॉ. गिरिजा व्यास** थी जो जून, 91 को श्री पी.वी. नरसिंहराव सरकार में उपमंत्री बनाई गई।
- राजस्थान में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिलाएँ : **शारदा बाई** (निर्दलीय-भरतपुर-सवाई-माधोपुर-1952) व **रानी देवी भार्गव** (जनसंघ-सिरोही-पाली-1952) थी। परन्तु ये दोनों चुनाव हार गई थी।
- राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य श्री रामनिवास मिर्धा (4 बार 1967-1968,1968,1974,1980-1986) में राज्यसभा सदस्य चुने गए) एवं श्री जसवंतसिंह (भाजपा) थे जो चार बार 1980-1999 तथा 1998-2010 तक (सर्वाधिक अवधि) राज्यसभा सदस्य रहे।

न्यायपालिका (Judiciary)

- राजस्थान में न्यायिक व्यवस्था के **शीर्ष स्तर** पर **राजस्थान उच्च न्यायालय** है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 2014 के तहत् 29 अगस्त, 1949 को **जोधपुर** में की गई थी। इसकी एक **खंडपीठ** (Bench) 31 जनवरी, 1977 को जयपुर में स्थापित की गई।
- राजस्थान उच्च न्यायालय में 40 न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) है जिनमें 10 की वृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके बाद **राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीश** हो जाएंगे।
- न्यायिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर **मुंसिफ मजिस्ट्रेट** का न्यायालय होता है जिसे दीवानी एवं फौजदारी दोनों मामले की प्रारंभिक अधिकारिता प्राप्त है।
- राजस्थान उच्च न्यायालय के **प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री कमल कान्त वर्मा** थे। न्यायाधीश **श्री कैलाश नाथ वांचू मुख्य** न्यायाधीश के पद पर **सर्वाधिक लम्बी** अवधि तक पदासीन रहे।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा की गई।
- अनुच्छेद 226 के तहत् उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारियों के प्रवर्तन हेतु कुछ आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

राजस्व मण्डल

- राजस्थान राज्य में राजस्व मामलों के शीर्ष न्यायालय एंव राजस्व प्रशासन के लिए प्रमुख नियामक एंव नियंत्रक के रूप में **राजप्रमुख के अध्यादेश के द्वारा राजस्व मण्डल की स्थापना दिनांक 01.11.1949 को हुई।** 1956 में उक्त अध्यादेश के स्थान पर **राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956** लागू किया गया। राजस्व मण्डल राजस्व मामलों में राज्य का **शीर्षस्थ अपील, पुनर्विलोकन एवं सन्दर्भ राजस्व न्यायालय** हैं, जिसको तीन प्रकार से अधिकार प्राप्त हैं :-
  1. अपील 2. पुनर्विचार 3. रैफरेंसेज
- राजस्व मण्डल का मुख्यालय अजमेर में है तथा एक सर्किट बेंच जयपुर में भी है। इसके प्रथम अध्यक्ष **श्री बृजचन्द शर्मा** थे।
- राजस्व मंडल का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान है तथा यह एक अर्द्ध न्यायिक (Quasi-judicial) निकाय है।
- इसका अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा का मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी होता हैं, जिसकी सहायता हेतु 20 सदस्य होते हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा व राजस्व मामले के विशेषज्ञ वकीलों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते है।
- न्यायिक अधिकारों के साथ-साथ भू-राजस्व, भू-अभिलेख संबंधी विभिन्न प्रशासकीय अधिकार भी राजस्व मण्डल को दिये गए।
- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों की क्रियान्विति सम्भागीय आयुक्त, जिला कलेक्टरों, उनके अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलेक्टरों, उपखण्ड अधिकारियों, सहायक जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक तथा तहसीलदारों द्वारा की जाती है।
- राजस्थान अधिनियमों के अन्तर्गत पुनर्विचार/रैफरेंसेज के अतिरिक्त कतिपय अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत भी मण्डल को कुछ न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए है, जैसे-उप-निवेशन, अधिनियम, सार्वजनिक सम्पत्ति एक्ट, नगरीय भूमि (सीलिंग) अधिनियम के अधीन अपीलों की सुनवाई आदि।

राजस्व मंडल के अन्य कार्य : राजस्व मंडल अपने मूल कार्यों के अलावा वर्तमान में निम्न कार्य भी सम्पादित करता है।

(1) राज्य में कृषि सांख्यिकी एकत्र करने संबंधी कार्य।

(2) कृषि गणना : हर पांचवें वर्ष कृषि गणना आयोजित करना। अब तक सात कृषि गणनाएँ पूर्ण हो चुकी है व आठवीं कृषि गणना का कार्य पूर्ण होने वाला है।

(3) पशु गणना : हर पांचवें वर्ष पशु गणना करना। 2007 में 18वीं पशु गणना सम्पादित की गई है। इस बार की पशु गणना प्रथम बार नस्लवार की गई है। 2012 में 19वीं पशुगणना सम्पन्न हो चुकी है।

रांविरा : राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका।

राज्य की महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ

मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद् का गठन :

- राज्य सरकार ने मार्च, 2015 में 3 मार्च, 2015 को गठित
- राज्य आयोजना बोर्ड को भंग कर इसके स्थान पर 'मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद्' का गठन किया है।
- मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसकी अध्यक्ष होगी।
- अर्थशास्त्री डॉ. अरविन्द पानगाड़िया उपाध्यक्ष व पूर्व आई.ए.एस. 'मीरा महर्षि' पूर्णकालिक सदस्य होंगे।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग :

- बच्चों पर होने वाले जुल्मों व ज्यादतियों को रोकने और उनके अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ उनका विकास सुनिश्चित करने हेतु राज्य में यह आयोग गठित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने 9 जून, 2009 को इस आयोग के गठन की मंजूरी दी।
- यह आयोग गठित करने वाला राजस्थान देश का 7वां राज्य (राज्यों के अनुसार छठा) है।
- इसके पहले दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, मध्यप्रदेश व कर्नाटक में इस आयोग का गठन हो चुका है।

राज्य स्तरीय मेला प्राधिकरण :

- राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय मेला प्राधिकरण एवं सभी जिलों में जिला स्तरीय मेला समिति का गठन किया है।
- पर्यटन मंत्री को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है।

राज्य टैक्स सैटलमेंट बोर्ड :

- राज्य सरकार ने वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए टैक्स सेटलमेंट बोर्ड का गठन किया है।
- इस बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में है।
- बोर्ड के चेयरमैन हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे।
- बोर्ड में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति तीन साल के लिए होगी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर :

- राज्य में योग्य लोक सेवकों की भर्ती करने के लिए सलाह देने हेतु संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त, 1949 को ।
- जयपुर में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग अजमेर स्थानान्तरित कर दिया गया।
- आयोग में अध्यक्ष एवं 5 सदस्य होते हैं। अब इनकी संख्या 7 कर दी गई है। कुल-8,
- इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- इन्हें हटाने हेतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया ही अपनानी आवश्यक है।
- इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।
- **प्रथम अध्यक्ष: सर एस.के. घोष**
- लोक सेवा आयोग राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती करने के अलावा सेवारत कर्मचारियों एंव अधिकारियों की पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि के संबंध में भी राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है।
- आयोग परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से उपर्युक्त एंव योग्य व्यक्तियों का चयन कर उनकी नियुक्ति की अभिशंसा राज्य सरकार को करता है।

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (Rajasthan Civil Services Appelete Tribunal) मुख्यालय-जयपुर :

- राज्य कर्मचारियों के सेवा संबधीं मामलों तथा आनुषांगिक विवादों के निपटारे के लिए राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 के तहत् 1 जुलाई, 1976 की राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का गठन किया गया था।
- अधिकरण की जोधपुर के **लिए एक चलपीठ** का गठन 30.10.1996 के द्वारा किया गया है।
- अधिकरण के आदेशों के विरूद्ध केवल उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- इसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान है।

केन्द्रीय प्रशासनिक अपीलीय न्यायाधिकरण (CAT) :

- राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विवादों के निपटारे हेतु
- जयपुर एवं जाधेपुर में केन्द्रीय प्रशासनिक अपीलीय न्यायाधिकरण (CAT) कार्य कर रहा है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (साल्सा-State Legal Services Authority)

- राज्य में नि:शुल्क व सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत 7 अप्रैल, 1988 को जयपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया।
- राष्ट्रीय स्तर पर इस हेतु नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा- National Legal Services Authority) का गठन किया गया है।

राजस्थान कर बोर्ड :

- विक्रय कर (अब मूल्यवर्द्धित कर-VAT) से संबंधित वादों का शीघ्र निपटारा करने हेतु
- 1 अक्टूबर, 1995 को राजस्थान विक्रय कर अधिकरण को परिवर्तित कर 'राजस्थान कर बोर्ड' की स्थापना अजमेर में की गई।
- इसकी एक बेंच जयपुर में भी है।

राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर (RRTI) :

- स्थापना राज्य सरकार द्वारा सन् 1995 में अजमेर में की गई।
- इसका प्रशासनिक विभाग 'राजस्व विभाग' है।
- यह संस्थान राजस्व संबंधी प्रशिक्षण के लिए राजस्थान की अन्य सभी संस्थानों का शीर्षस्थ संस्थान है।

हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान (HCMRIPA) जयपुर :

- राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु
- 14 नवम्बर, 1957 को जोधपुर में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल (OTS) की स्थापना की गई जिसे 1963 में जयपुर हस्तांतरित कर दिया गया।
- 1969 में इसका नाम राज्य के अनुभवी प्रशासक एंव सांसद स्व. श्री हरिशचन्द्र माथुर की स्मृति में 'हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान' कर दिया गया।
- 1983 में संभाग स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु इसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा में स्थापित किये गये ।
- संस्थान वर्तमान में न केवल नये चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है अपितु राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों को भी उनकी आवश्यकतानुसार उचित सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है।
- संस्थान का प्रमुख 'निदेशक' होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है।

लोक अदालत :

- राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारे की भावना जागृत करने तथा विवादों एवं प्रकरणों के आपसी राजीनामे के माध्यम से निस्तारण के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।
- राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जिसने जन सुविधा हेतु लोक अदालतों की स्थापना की है।

राज्य निर्वाचन आयोग :

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की धारा (243k) एवं (243ZA) के अधीन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु पृथक से राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है
- प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जा सकता है।
- अधिनियम के तहत राजस्थान में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग (एक सदस्यीय) का गठन कर दिया गया है।
- प्रथम निर्वाचन आयुक्त श्री अमरसिंह राठौड़, द्वितीय श्री नेकराम भसीन तथा तीसरे निर्वाचन आयुक्त श्री इंद्रजीत खन्ना बनाए गए। चतुर्थ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री ए.के. पाण्डे तथा पांचवें श्री रामलुभाया है।
- इनका कार्यकाल कार्यग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है।

राज्य वित्त आयोग :

- पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243झ शहरी निकायों (अनुच्छेद 243म) की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने के लिए प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है।
- वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, जिन्हें लोक मामलों का अनुभव रहा हो तथा अधिकतम चार अन्य सदस्य होते हैं।
- राजस्थान का प्रथम वित्त आयोग श्री कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में व द्वितीय वित्त आयोग का गठन मई, 1999 में श्री हीरालाल देवपुरा की अध्यक्षता में किया गया है। तृतीय वित्त आयोग का गठन श्री माणिकचंद सुराणा की अध्यक्षता में 15 सितम्बर, 2005 को किया गया। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग 13 अप्रैल, 2011 को श्री बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में गठित किया गया है। 5वें वित्त आयोग का गठन ज्योति किरण की अध्यक्षता में कर दिया गया है।

लोकायुक्त :

- राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति (1963) की सिफारिश पर 28 अगस्त, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायामूर्ति श्री आई.डी. दुआ को प्रथम लोकायुक्त व श्री के.पी.यू. मेनन को 5 जून, 1973 प्रथम उपलोकायुक्त बनाया गया।
- 26.11.1999 को माननीय न्यायामूर्ति श्री मिलापचन्द जैन को लोकायुक्त बनाया गया।
- लोकपाल एवं लोकयुक्त संस्थान के प्रादूर्भाव का विचार स्वीडन के ऑम्बुड्समैन संस्थान के आधार पर उत्पन्न हुआ। स्वीडन पहला देश जिसने ऑम्बुड्समैन संस्थान को वर्तमान स्वरूप में वर्ष 1809 में प्रारम्भ किया। र
- ाजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग की अक्टूबर, 1966 के अंतरिम प्रतिवेदन में इसकी अनुशंसा की गई।
- राजस्थान में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 पारित किया गया, जो 3 फरवरी, 1973 से प्रभावी हुआ।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत मंत्रियों तथा लोकसेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार अथवा बेईमानीपूर्वक कार्यवाही करने से संबंधित आरोप का अन्वेषण करने के लिए लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। लोकायुक्त सिर्फ सिफारिश करता है।

- **लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार :** लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार का विस्तार निम्न को छोड़कर राजस्थान राज्य के समस्त लोकसेवकों पर हैं-
  (1) मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश या न्यायिक सेवा का कोई सदस्य।
  (2) भारत में किसी भी न्यायालय का कोई भी अधिकारी।
  (3) महालेखाकार राजस्थान।
  (4) राजस्थान लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य।
  (5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान राज्य।
  (6) राजस्थान विधानसभा के सचिवालय स्टाफ का कोई भी सदस्य।

राज्य महिला आयोग :

- भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत लिंगीय भेदभावों को समाप्त कर महिलाओं के हितों को संरक्षित एवं समुन्नत करने की दृष्टि से राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई, 1999 को जयपुर में किया गया।
- इसमें अध्यक्ष सहित चार सदस्य है। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होनी अनिवार्य है।
- अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत किये जाते है।
- आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर निर्णय लेना तथा उस मामले में की जाने वाली कार्यवाही हेतु सरकार को सिफारिश करना है।
- आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती कांता खतूरिया थी।
- राज्य में महिला नीति 8 मार्च, 2000 को जारी की गई।
- आयोग को किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदत्त है। यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मामले में अनुचित व्यवहार किया गया है तो वह मामले में कार्यवाही करने की और अभियोजन प्रारम्भ करने की सिफारिश कर सकता है।
- आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर राज्य सरकार उन पर विनिश्चित करने व आयोग को उसकी सूचना देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- उल्लेखनीय है कि केरल के बाद राजस्थान ही देश का दूसरा राज्य है जिसमें राज्य महिला आयोग को अभियोजन करने का अधिकार प्राप्त है।

राष्ट्रीय महिला आयोग :

- केन्द्र सरकार ने 31.01.1992 को इस आयोग की स्थापना की।
- इसकी वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती ललिता कुमारमंगलम है।
- श्रीमती गिरिजा व्यास राष्ट्रीय महिला आयोग की दो बार अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी।

मुख्य सतर्कता आयुक्त (सी.वी.सी.) :

- 28 मार्च, 2001 को गृहसचिव आर.के. नायर राज्य के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाए गए।

राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग :

- इस आयोग का गठन मई, 1999 में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में किया गया था।

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय :

राजस्व के समस्त स्त्रोतों पर निगरानी रखने, कर अपवंचना को रोकने तथा राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव को रोकने हेतु राज्य में वित्त विभाग के अधीन राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का गठन किया गया है इसका अध्यक्ष 'महानिदेशक' है।

आर्थिक व सांख्यिकीय निदेशालय, जयपुर :

सांख्यिकीय सूचनाओं के सामयिक एवं विश्वसनीय संकलन, विश्लेषण एवं सूचनाओं की सुलभ उपलब्धि के उद्देश्य से वर्ष 1956 में राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की जयपुर में स्थापना की गई।

प्रशासनिक सुधार, मानव संसाधन विकास एवं जनशक्ति आयोजना समिति :

इसका गठन राज्य सरकार द्वारा 12 दिसम्बर, 2007 को प्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉ. एन.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया है।

परिसीमन आयोग -

- संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र में पुनः समायोजन किया जा सकता है।
- 1977 हुए परिसीमन में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई। अतः छठी विधानसभा हेतु चुनाव 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए। यही सदस्य संख्या 200 वर्तमान में भी कायम है।
- नवीनतम परिसीमन आयोग न्यायामूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया जिसके अनुसार -
  - विधानसभा की 200 निर्वाचित क्षेत्रों में SC-34, ST-25 सीटें आरक्षित है।
  - लोक सभा में राजस्थान से SC-4, ST-3 सीटें आरक्षित है।
  - लोकसभा में कुल सीटों में SC-84, ST-47 सीटें आरक्षित है।

महत्वपूर्ण तथ्य :

- राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना : राज्य में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तरदायी शासन की स्थापना में बीकानेर के महाराजा गंगासिंह ने पहल कर 1912 में प्रतिनिधि सभा (Representative Assembly) का गठन कर अक्टूबर, 1913 में इसके प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया। शाहपुरा जैसी छोटी सी रियासत के युवा महाराजा सुदर्शन देव ने 1940 के दशक में जनप्रतिनिधियों को सर्वाधिकार सम्पन्न सत्ता सौंपकर व रियासत के संविधान निर्माण हेतु एक परिषद् का गठन कर उत्तरदायी शासन की स्थापना में उल्लेखनीय योगदान दिया।
- राजस्थान में जागीरदारी प्रथा का उन्मुलन सन् 1954 में किया गया।

1946 में देश की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान में मनोनीत प्रतिनिधि

क्र.	नाम	रियासत	क्र.	नाम	रियासत
1	श्री वी.टी. कृष्णमाचारी	जयपुर	2	श्री हीरालाल शास्त्री	जयपुर
3	श्री सरदार सिंह	खेतड़ी	4	श्री जसवंत सिंह	बीकानेर
5	श्री राज बहादुर	भरतपुर	6	श्री माणिक्यलाल शर्मा	उदयपुर
7	श्री बलवंत सिंह मेहता	उदयपुर	8	श्री गोकुललाल असावा	शाहपुरा (भीलवाड़ा)
9	श्री जयनारायण व्यास	जोधपुर	10	श्री दलेल सिंह	कोटा
11	श्री मुकुटबिहारी भार्गव	अजमेर-मेरवाड़ा	12	श्री रामचन्द्र उपाध्याय	अलवर

- उपरोक्त के अलावा राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका पं. बंगाल से, बनारसीदास झुनझुनवाला बिहार से एक पदमपत सिंघानिया उत्तरप्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गये थे।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्पूर्ण दिल्ली एवं राजस्थान, हरियाणा और उत्तरप्रदेश राज्यों के कुछ भाग सम्मिलित है। इसमें राजस्थान का क्षेत्र का सम्पूर्ण अलवर जिला सम्मिलित है। इसके अलावा भरतपुर जिले को भी शामिल कर लिया गया है।

क्र.	विभाग/पद	पदाधिकारी
1.	अध्यक्ष, अधीनस्थ एंव मंत्रायलिक सेवा चयन सेवा बोर्ड, जयपुर	रामखिलाडी मीणा
2.	अध्यक्ष, मा.शिक्षा बोर्ड. अजमेर	प्रो.बी.एल.चौधरी
3	उपाध्यक्ष, 20 सूत्रीय कार्यक्रम	डॉ दिगम्बर सिंह
4	अध्यक्ष, राज्य सफाई आयोग (नवगठित)	गोपाल पचेरवाल
5	अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	मनन चतुर्वेदी
6	चेयरमैन, जे.एम.आर.सी(मैट्रो परियोजना)	अश्विनी भगत
7	अध्यक्ष, जैव विविधता मण्डल, जयपुर	प्रमोद कुमार
8	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,अजमेर	अशोक शेखर
9	मुख्य सूचना आयुक्त	सुरेश चौधरी
10	अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग	प्रकाश टाटिया
11	अध्यक्ष, राजस्थान धरोहर संरक्षण एंव प्रोन्नति प्राधिकरण	ओंकार सिंह लखावत
12	अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जयपुर	राजहंस उपाध्याय
13	अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	बालकृषण मीणा
14	अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग	सुंदर लाल
15	अध्यक्ष, राज्य अन्य पिछडा वर्ग आयोग	जितेन्द्र राय गोयल
16	अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग	श्रीमती निशा गुप्ता
17	अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग	सरदार जसबीर सिंह
18	जयपुर अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम के चैयरमेन	श्रीमत पाण्डेय
19	राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष	जनार्दन सिंह गहलोत
20	राजस्थान एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष	गोपाल सैनी
21	अध्यक्ष, जन लेखा समिति	प्रद्युम्न सिंह
22	राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद का अध्यक्ष	वासुदेव देवनानी
23	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति	डॉ सैमपित्रोदा

क्र.	विभाग / पद	प्रथम	वर्तमान
1.	राज्यपाल	सरदार गुरूमुख निहालसिंह	श्री कल्याण सिंह
2.	महिला	श्रीमती प्रतिभा पाटिल	
3.	मुख्य न्यायाधीश	श्री कमलकांत वर्मा	जस्टिस नवीन सिन्हा
4.	मुख्यमंत्री	श्री हरीलालशास्त्री (मनोनीत)	श्रमती वसुंधरा राजे
		श्री टीकाराम पालीवाल (निर्वाचित)	
5.	महिला सांसद	श्रीमती शारदा भार्गव (राज्यसभा)	श्रीमती संतोष अहलावत (लोकसभा)
		महारानी गायत्री देवी (लोकसभा)	
		श्रीमती उषा देवी मीणा (अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य) श्रीमती सुशीला बंगारू (अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य)	
6.	विधानसभा अध्यक्ष	श्री नरोत्तम लाल जोशी	श्री कैलाश मेघवाल
7.	विघानसभा उपाध्यक्ष	श्री लालसिंह शक्तावत	राव राजेन्द्र सिंह
8.	मुख्य सचिव	श्री के. राधाकृष्णन	श्री ओ.पी.मीणा
9.	महिला मुख्य सचिव	श्रीमती कुशल सिंह	
10.	महानिदेशक पुलिस		श्री मनोज भट्ट
11.	पुलिस कमिश्नर 2011 में सृजित	जयपुर-श्री बी.एल.सोनी	श्री संजय अग्रवाल
12.	अध्यक्ष आर.पी.एस.सी	सर एस.के.घोष	श्री ललित के. पंवार
13.	अध्यक्ष वित्त आयोग	श्री कृष्ण कुमार गोयल	डॉ ज्योति किरण
14.	लोकायुक्त	न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ	श्री सज्जनसिंह कोठारी
15.	अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग	श्री अमरसिंह राठौड	श्री रामलुभाया
16.	मुख्य चुनाव अधिकारी		श्री गोविन्द शर्मा
17.	राज्य महिला आयोग अध्यक्ष	श्रीमती कांता खतुरिया	सुमन शर्मा
18.	महाधिवक्ता	श्री.जी.सी. कासलीवाल	श्री नरपतमल लोढा

CURRENT AFFAIRS

भौगोलिक संकेतक सूची में राजस्थान की वस्तुएँ

भौगोलिक संकेतक	प्रकार
कोटा डोरिया	हस्तशिल्प
ब्लू पोटरी(जयपुर)	हस्तशिल्प
मोलेला क्ले वर्क	हस्तशिल्प
कठपुतली	हस्तशिल्प
सांगानेरी हैण्ड ब्लॉक प्रिंट	हस्तशिल्प
बीकानेरी भुजिया	कृत्रिम
कोटा डारिया लोगो	हस्तशिल्प
फुलकारी	हस्तशिल्प
बगरु हैण्ड ब्लॉक प्रिंट	हस्तशिल्प
थेवा आर्ट वर्क	हस्तशिल्प
मकराना मार्बल(2015)	प्राकृतिक वस्तु

- 13 दिसम्बर, 2015 को शुरू **'भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना'** में लाभान्वित परिवार को 30 हजार रूपए से 3 लाख तक का कवर मिलेगा।
- **ग्राम उदय से भारत उदय अभियान**-14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक
- **चरण पादुका :** जालौर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी द्वारा शुरू किया अनोखा अभियान । यह नंगे पॉव स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है ।
- **मुख्यमंत्री जन आवास योजना (2015) :** वर्ष 2022 तक सबको मकान उपलब्ध कराने के उध्देश्य से केन्द्र सरकार की और से शुरु की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए राज्य सरकार ने नीति तैयार की है । योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के 40 शहरो में इसको लागू किया जायेगा।
- **गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना - 2016 :**राज्य में बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालो को सम्मानित एवं पुरस्कृत करने हेतु "गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना" प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित व्यक्ति को 25 हजार रुपये की नगद राशि पुरस्कार स्वरुप दी जायेगी ।

- **वन धन योजना:** वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोगों के विकास, उनकी वनो की निर्भरता कम करने, रोजगार उपलब्ध करवाने, वन्य जीव तथा वनो की सुरक्षा के लिए **"वन धन योजना"** रणथम्भौर टाइगर रिर्जव, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, माउॅट आबू, कुंभलगढ वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जवाई Conservation Reserve में पायलट बेसिस पर लागू की जायेगी।
- **कृष्णा सर्किट :** राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कृष्णा सर्किट विकसित किया जाएगा, जिसमें द्वारिका-सांवलियाजी-नाथद्वारा-गोविन्ददेवजी आदि पावन धामों जोडा जाएगा ।
- **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग** (D.I.P.P.) द्वारा जारी "**ईज ऑफ डूइंग बिजनिस**" के आकलन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक ने "कारोबार करना आसान" में **राजस्थान को भारत में 6th** स्थान पर रखा गया है । भारत निवेश के लिए सबसे उभरते शहरो में जयपुर को दूसरा स्थान दिया गया है
- राजस्थान में 'प्रदुषण मुक्त उद्योगो' की स्थापना को सुगम बनाने के लिए रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में **"प्लग एण्ड प्ले"** सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
- **करौली बनेगा हेरिटेज सिटी:** प्राकृतिक सौन्दर्य और पुरासंपदाओं के अलौकिक भंडार को देखते हुए करौली को हेरिटेज सिटी का लुक दिया जाएगा। प्रजेंटेशन में करौली के रावल महल, सुख विलास, गोपाल सिंह जी की छतरी, शहर की ऐतिहासिक इमारतें, दीवारें, द्वार, खिड़कियाँ, शाही कुण्ड, मोती पाल जी का बाग, रणगमॉ ताल, मदनमोहन जी मंदिर, कैला देवी मंदिर, पाँचना डेम, केदारगिरी जी की गुफा जैसे महत्वर्पुण स्थानों के विकास पर चर्चा हुई।
- जैसलमेर में भारत सरकार के सहयोग से गोडावन को संरक्षित करने के लिए ब्रीडिंग सेंटर खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
- **जल स्वावलम्बन सप्ताह** -17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक
- BSF की पहली महिला सहायक कमांडेट -तनुश्री पारीक
- राज्य का पहला आइसक्रीम प्लांट-भीलवाड़ा
- प्रदेश का पहला गौ अभ्यारणय -बीकानेर
- देश की सबसे बड़ी मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप (MAST) सोलर वैधशाला-उदयपुर
- **विश्व संगीत उत्सव**-उदयपुर में राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से निजी सहयोग के साथ आयोजित देश का पहला वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 13 व 14 फरवरी 2016 को फतहसागर की पाल पर हुआ।
- देश का पहला कारपेट पार्क स्थापित होगा-भांडारेज (दौसा)
- मैनकाइंड फार्मा एवं कैडिला कम्पनी प्लांट-कलडवास (उदयपुर)
- वन विभाग मुख्यालय अरण्य भवन का उद्घाटन - जयपुर
- देश का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित -नोख, जैसलमेर
- प्रदेश का पहला मिनी सुपर मार्केट - थूर गाँव (उदयपुर)
- राज्य का पहला शराब मुक्त गाँव - काछबली (राजसंमद)
- **जीवनधारा :** यह राजस्थान का पहला सरकारी महिला दुग्ध बैंक है ।
- हनुमानगढ में बनेगी प्रदेश की दूसरी बर्ड सेंचुरी - पालीबंगा तहसील के बडोपल गाँव में है ।
- बीकानेर में 25 करोड रुपये की लागत से बीछवाल बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की घोषणा।
- **राज्य में रुपनगढ (अजमेर) में मेगाफुड पार्क :** किशनगढ के निकट रुपनगढ में मेगाफूड पार्क शुरु किया जा रहा है ।
- **क्रिएटिव सिटी नेटवर्क** - जयपुर व वाराणसी को पहली बार यूनेस्को द्वारा पहली बार "यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क" में शामिल किया गया है ।
- **डिजिटल इंडिया सप्ताह** - बेहतर प्रदर्शन के लिए राजस्थान के तीन जिलो को सम्मानित किया गया - बारॉ, बॉसवाडा, झंझुनू ।
- **राजस्थान उप क्षेत्र योजना :** राष्ट्रीय राजधानी क्षैत्र के अन्तर्गत राजस्थान उप क्षेत्र योजना को वर्ष (2014-15) लागू किया जायेगा। जिसके तहत अलवर जिले को विकसित किया जायेगा।
- **साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ सिस्टर-स्टेट करार:** इस MOU के तहत दोंनो राज्य पेयजल, पर्यावरण, प्रबंधन, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि व्यापार, खाद्यान, शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण, पर्यटन एंव खेल के क्षेत्रों में व्यापार और निवेश के अवसर तलाशने के लिए साझा कार्य योजना बनाएंगे। आस्ट्रेलिया,रिसर्जेन्ट राजस्थान पार्टनरशिप समिट-2015 का पार्टनर कंट्री था।
- **मलेशिया के साथ 10 हजार करोड़ का MOU :** स्मार्ट-सिटी एवं राजमार्ग एवं शहरी बुनियादी ढाँचे सुदृढीकरण के सत्र में सड़क निर्माण के लिए मलेशिया के साथ 10 हजार करोड़ रुपये का MOU किया ।
- **जापान के साथ MOU :** इस सत्र में 685 करोड़ रूपये राशि 4 MOU पर हस्ताक्षर हुए । ये MOU नीमराणा में ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एयर कंडीशर्नस, बेयर हाउस, डिस्ट्रब्यूशन सेंटर एवं फेब्रिकेशन फैक्ट्री एवं फाउंड्री से संबंधित थे ।
- **सिंगापुर के साथ MOU :** "फोकस क्षेत्र-पर्यटन" के अन्तर्गत 19 नवम्बर 2015, को CM राजे की उपस्थिति में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और सिंगापुर कॉरपोरेशन इन्टरप्राइजेज के मध्य राज्य के जोधपुर और उदयपुर शहर के आर्किटेक्चर, मास्टर प्लान के संबंध में MOU पर हस्ताक्षर किये गए । सिंगापुर के सहयोग से ITI उदयपुर को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस	स्थान
हास्पिटेलिटी सेक्टर सिंगापुर द्वारा	उदयपुर
डेगन फूट की खेती के लिए	ढिंढोल,बस्सी (जयपुर)
पिस्ता की खेती के लिए	लूणकरणसर (बीकानेर)
अमरूद उत्कृष्टता केन्द्र	टोंक
खजूर उत्कृष्टता केन्द्र	सगरा भोजका (जैसलमेर)
अनार उत्कृष्टता केन्द्र	बस्सी (जयपुर)
आम उत्कृष्टता केन्द्र	धौलपुर
कैटरपिलर कम्पनी	झालावाड़
केयर्न इंडिया	जोधपुर
संतरा उत्कृष्टता केन्द्र	झालावाड़ एवं नांता कृषि फार्म (कोटा)

युद्धाभ्यास

- **चक्रव्युह** - भारतीय थल सेना युद्धाभ्यास- पल्लू हनुमानगढ में हुआ।
- भारतीय थल सेना का बड़ा युद्धाभ्यास **शत्रुजीत 2016**-महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। इससे पहले **दृढ संकल्प** नामक योद्धाभ्यास भी हुआ।
- भारत फ्रांस की थल सेनाओं के मध्य तीसरा युद्धाभ्यास **शक्ति 2016** का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ।

- मार्च 2016 में वायु सेना का अब तक का सबसे बडा युद्धाभ्यास **आयरन फीस्ट 2016** का आयोजन चांधन फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर में हुआ।
- नवम्बर 2015 में भारत और रूस की सेनाओं के मध्य **इन्द्र-2015** का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ।
- राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर सितम्बर से दिसम्बर 2015 तक थलसेना का युद्धाभ्यास-**बाजगति।**
- **सर्वदा विजय अभ्यास :** मथुरा स्थित सेना की स्ट्राइक -1 कोर मे राजस्थान के थार में एक माह लंबा युद्धाभ्यास 3-4 मई, 2014 के मध्य सम्पन्न किया ।

पुरस्कार

- **के.के . बिडला फाउण्डेशन 25वां बिहारी पुरस्कार** - डॉ भगवती लाल व्यास, राजस्थानी कृति ''कठा सू आवे है सबद''
- **महाराणा मेवाड सम्मान** - डॉ लक्ष्मण सिंह राठौड
- **भामाशाह पुरस्कार**-मोहम्मद इमरान, 60 शिक्षण एप बनाये।
- **पहला जगजीत सिंह सम्मान** - इलै राजा
- **सरदार रत्न राष्ट्रीय अवार्ड 2015** - प्रो डी.पी.शर्मा
- **7 वां श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार 2015** - प्रदीप जोशी
- **शिल्पगुरू पुरस्कार**-
  1. कैलाश सोनी -मीनाकारी
  2. रामस्वरूप शर्मा -लकडी पर तारकशी
  3. कैलाश चन्द्र शर्मा - मिनिएचर पेंटिंग
- ज्ञानपीठ के 11 वें **नवलेखन पुरस्कार 2015**- ओमनागर ''निब के चीर स''
- **गोयनका राजस्थानी साहित्य पुरस्कार** - सीताराम महर्षि
- राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ नार्थ अमेरिका राना द्वारा चौथा पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान - पवन पहाडिया
- **अमृता देवी विश्नोई वानिकी पुरस्कार 2015** - जलधारा विकास संस्थान, भीलवाडा
- **राजस्थान रत्न पुरस्कार** - मंजुल भार्गव
- **कृषि कर्मण अवार्ड**-वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान द्वारा गेहूं उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि कर्मण अवार्ड प्रदान किया गया। प्रशस्ति पत्र व 2 करोड़ रूपए।
- जालोर के भाखराराम व सवाईमाधोपुर की रामप्यारी को सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील किसान का कृषि मंत्री कृषि कृमण पुरस्कार भी दिया गया। 2 लाख रूपए।
- **बाल साहित्य पुरस्कार, 2015 :** अकादमी में राजस्थानी भाषा के लिए अपने 'धरती रो मोल' बाल कहानी संग्रह के लिए कृष्णा कुमार "आशु" को प्रदान किया गया ।
- **साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, 2015 :** साहित्य अकादमी में 23 भाषाओ में अपने वार्षिक युवा पुरस्कारों की घोषणा की, वर्ष 2015 के लिए कश्मीरी भाषा में कोई पुरस्कार नही दिया गया । राजस्थान की सुश्री ऋतुप्रिया को अपने "अपना संजोवनी हीरान" (कविता संग्रह) के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से परिष्कृत किया गया ।
- **माणक अलंकरण ,2015 :** खोजपूर्ण रचनात्मक पत्रकारिता के लिए दिये जाने प्रतिष्ठित माणक पुरस्कार -2015 और चार विशिष्ट पुरस्कारों की घोषणा 12 दिसम्बर, 2015 को जोधपुर में की गयी
- **माणक अलंकरण - MR** जाहिर (जोधपुर)
- सरस डेयरी को इंडिया प्राइड अवार्ड -2015-2016

पदमश्री सम्मान 2016

- गुलाबो सपेरा- लोक नृत्य
- प्रकाश चन्द्र सुराणा-मरणोपरांत, कला एंव संगीत क्षेत्र
- पीयूष पांडे, महाराष्ट्र से नामित - विज्ञानपन एंव संचार
- जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के प्रथम सी.ई.ओ.वी. सरवन कुमार

खेल - खिलाडी

- **एथलेटिक्स** - समरजीत सिंह , मंजुबाला, घंमडाराम, खेताराम
- **तीरदांज**- रजत चौहान, प्राची सिंह, स्वाति दूधवाल
- **जूडो** - बलविंद्र सिंह
- **रोलबॉल**- रमेश सिंह पाल
- **नौकायन**- शेखरसिंह, सतीश जोशी, हरीश चन्द्र, गिर्राज सिंह, नरेन्द्र सिंह, संदीप कुमार, राकेश रलिया
- **निशानेबाजी**-अपूर्वी चंदेला, ओमप्रकाश , महेन्द्र सिंह रावल, शगुन चौधरी, महावीर सिंह
- **टेबल टेनिस**- विशाखा विजय,
- **हैंडबाल**- मनीषा राठौड
- **कबड्डी**- सुमित्रा शर्मा
- **पोलो**- मेजर रवि राठौड
- **पैरा श्रेणी में** - जगसीर सिंह एथलेटिक्स, संदीप सिंह मान एथलेटिक्स, कमलेश शर्मा-तीरंदाजी, किरण टांक तैराकी
- **पैदल चाल**- सपना 20 किमी
- **भाला फेंक**- देवेंन्द्र झाझाडिया, सुंदर गुर्जर
- **तैराक**- नैकृति, भक्ति शर्मा
- **शतंरज**- अभिजीत गुप्ता
- **डिस्कस थ्रो**- कृष्णा पूनिया
- **स्ट्रैथ पावर लिफ्टिंग विश्व चैम्पयनशिप, 2016** - राजस्थान के पवन कुमावत को दो गोल्ड मेडल
- **बॉलीवाल**- लवमीत कटारिया व दिलीप सोईवाल
- **12 वें दक्षिण एशियाई खेल (सैफ गेम्स)** को आयोजन 5 से 16 फरवरी, 2016 तक गुवाहटी और शिलांग में किया गया। इन खेलों में 8 देशों ने हिस्सा लिया- अफगानिस्तान, बांग्लादेश , भूटान , भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन 8 देशों के लगभग 3500 खिलाड़ी और खेल अधिकारी पूर्वोत्तर में आयोजित इस सबसे बडे खेल आयोजन में शामिल हुए। भारत ने इन खेलों में कुल 308 पदक जीते । इनमें 188 स्वर्ण पदक, 90 रजत पदक और 30 कांस्य ।
- **निशानेबाजी :** राजस्थान की अपूर्वी चंदेला ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्द्धा में व्यक्तिगत और टीम वर्ग में दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए।
- **तीरंदाजी:** राजस्थान रजत चौहान ने पुरुषों की कम्पाउंड स्पर्धा में दो स्वर्ण पदक हांसिल किए।
- **हैमर थ्रो:** राजस्थान के नीरज कुमार ने एथलेटिक्स की हैमर थ्रो स्पर्धा में पाकिस्तान के शकील अहमद को हराकर स्वर्ण पदका जीता।
- **मैराथन दौड़:** पुरूषों की मैराथन दौड़ में राजस्थान के खेताराम ने कांस्य पदक प्राप्त किया।
- **साइकिलिंग:** साइकिलिंग में भारतीय पुरूष टीम में शामिल राजस्थान के मनोहर लाल विश्नोई, अरविन्द कुमार, मंजीत सिंह और दीपक कुमार राही ने प्रथम स्थान प्राप्त किया ।

14 वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव (2013)

- विधानसभा की कुल 200 सीटों में से 163 पर एतिहासिक विजय प्राप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचण्ड बहुमत के आधार पर सरकार का गठन किया, जबकि सत्ता की प्रबल दावेदार कांग्रेस 21 सीटों के साथ बहुत पीछे रह गई।
- इस चुनाव में भाजपा को 163, कांग्रेस कों 21, राजपा को 04 सीटें, बसपा को 3 सीटें, जमीदार पार्टी को 02 सीटें तथा 07 सीटें अन्य उम्मीदवारों की झोली में गई।
- प्रदेश में 4,08,29,288 मतदाता है। राज्य की 14वीं विधानसभा चुनाव के दौरान कुल महिला वोटर 1,91,83,407 में सें 1,44,86,248 ने वोट दिए अर्थात कुल 75.15% मतदान किया।
- 14वी विधानसभा के लिए महिला मतदान पुरूष मतदान से 0.60 प्रतिशत अधिक रहा। इस चुनाव में कुल प्रत्याशियों में 9% महिलाएं मैदान में रही।
- 14वी विधानसभा के चुनाव मैदान में कुल 168 महिला उम्मीदावरों ने अपना भाग्य आजमाया जिनमें से 28 महिलाओं ने जीत दर्ज करवाई जो कुल विधानसभा सीटेां का 14% है।
- 14 वीं विधानसभा में 28 विजयी महिलाओं में सें भाजपा ने 26 माहिलाओं को टिकिट दिया व 22 जीती।
- कांग्रेस ने 24 माहिलाओं को टिकिट दिया केवल 1 जीती महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने में हमारी विधानसनभा में सबसे ज्यादा महिला हिस्सेदारी : अब तक बिहार नम्बर वन था, हाल ही चुनाव नतीजों से बदली तस्वीर

महिला हिस्सेदारी

- 200 सदस्यीय राजस्थान विधान सभा में -13.5%
- 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में-11.1%
- देश की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी -11.1% है।
- दुनिया में औसत हिस्सेदारी -22% है।
- महिला विधायक राजस्थान और बिहार में अब 27-27 है।

निर्माण IAS